

कार्यालय कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 20 अ-82/17-18/ 8131

दिनांक 5/7/2018

घोषणा

617/18

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	पचधार	4.562	पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	256/6	1.068	0.008	कैलाश व. मुन्नालाल लवलेश उर्फ लवकेश मुकेश व. मुन्नालाल सुनीता रोशनी उर्फ रजनी व. मुन्नालाल बेबी उर्फ संतरी पिता श्रीराम वली जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
2	296/4	1.335	1.240	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	297/6	0.648	0.085	सुलोचना पिता बलीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
4	275/2 290/1	0.162 1.239	0.162 1.239	भागचंद नामदेव व. टीका मिठठो साकरो बुन्दन पिता टिका कौशल बेवा शान्तीलाल राजेश मुकेश किरण संगीता मंजू पिता शांतीलाल जाति मेहरा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
5	296/7	0.283	0.283	शंकर व. बग्या शिवकला पिता बग्या जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
6	272/1	0.516	0.516	रमेश, दिलिप, दिनेश सुरेश रवि अनील सुनील पिता पुरणलाल करुणसिन्धु लक्ष्मीनारायण, भवानीशंकर राजाराम व. शिवकिशोर अरुणा पिता शिवकिशोर जाति कलार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

7	294/1	2.572	0.750	सुखदेव नामदेव मुन्नालाल चैतराम व. अमरचंद्र रामकला पिता अमरचंद्र, कमलू बेवा उदेराम चटर दिपक गुरुदास नारायणदास देवीदास व. उदेराम अंजीरा सत्रुपा कुसुम पिता उदेराम गुलजार बेवा राजेराम अमरलाल मोपू मुन्नालाल व. राजेराम भुजलो गोदावरी मालती पिता राजेराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
8	256/11	0.179	0.179	दिलिप व. रामचरण जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
9	262/8	0.090	0.090	रामदयाल व. श्रीराम देवकी पिता श्रीराम जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
10	260/1	0.648	0.010	सुरजलाल व. गेंदू भूता उर्फ शास्त्री पिता गेंदू पति किशोरी अंजीरा पिता गेंदू कला बेवा अमरलाल ईश्वरी उर्फ प्रमिला कविता पिता अमरलाल जाति किराड़ पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग	11	8.740	4.562	

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



  
(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,



पृ0क0 20 अ-82/17-18/ 8131

बैतूल दिनांक 5/7/2018  
6

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पचधार तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग